न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 82/2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025/122

इस्माईल खां पुत्र मिश्री खां कायमखानी निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1– ईस्माइल खां पुत्र शकरू खां कायमखानी निवासी मोहल्ला निवासी कायमखानी मोहल्ला, बड़ के पास शाहपुरा

2– जाकिर पुत्र महबूब खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, बड़ के पास शाहपुरा

3– मु. नसीम पत्नी महमूद खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, बड़ के पास शाहपुरा

4– मु. मुस्कान पुत्री महमूद खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, बड़ के पास शाहपुरा

5–मोहम्मद ताहित पुत्र महमूद खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, बड़ के पास शाहपुरा

6– मु. रहमत पुत्री महबूब खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, बड़ के पास शाहपुरा

7– इमरान पुत्र अहमद खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, बड़ के पास शाहपुरा

8– शौकत खां पुत्र मिश्री खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, खारे कुएं के पास शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

9– नजमा बानू पत्नी मुस्तक खां कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, निवासी फूलिया गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

10– सद्दीक मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, खारे कुये के पास, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

11– इरफान पुत्र नूर मोहम्मद कायमखानी निवासी कायमखानी मोहल्ला, खारे कुए के पास, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

12– अलानूर खां पुत्र अशरफ खां कायमखानी निवासी कायम खानी मोहल्ला, खारे कुए के पास, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 01-07-2025

उपस्थित :–

1. श्री सोहेल खां कायमखानी : अधिवक्ता प्रार्थी

::– निर्णय –::

दिनांक : 20-08-2025

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 2706 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 रकबा 0.43 है0** कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है।** प्रार्थी दिनांक 25.02.2025 को अपनी आराजियात को देखरेख बाबत

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

गया तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 1 रकबा 0.43 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु** न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. **1 से 6, 8, 10, 11** बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं. **7, 9, 12** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

आज दिनांक **20-08-2025** को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 2706 रकबा 0.43 है0 कुल किता 1 रकबा 0.43 है0** का अभिलिखित खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार **शाहपुरा** को प्रार्थी की **खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी की खातेदार आराजी **ग्राम शाहपुरा प0ह0 शाहपुरा भू0अ0निरीक्षक शाहपुरा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 2706 रकबा 0.43 है0** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **20-08-2025** को सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (राज.)

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा